उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-230/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.179-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(230)-2022

लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

क. अनुसूची I - 2.5% में, क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी;

ख. अनुसूची II - 6% में, क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढा दी जायेंगी; अर्थात्:-

"176 ख	6815	फ्लाई ऐश की ईंटें या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटें
176 घ	6904 10 00	निर्माणी ईंटें
176 ड़	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइलें"

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव